

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी 2021 — फाल्गुन 8, शक 1942

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1364/6553/2018/रास/यू.-25. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) में निहित प्रावधान अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम-सांकरा (कुम्हारी), दुर्ग में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन-समिति का गठन किया गया है :-

- | | | | |
|----|--|---|------------------|
| 1. | डॉ. श्रीमती हंसा शुक्ला,
प्राचार्य,
श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय,
आमदी नगर, हुडको भिलाई, दुर्ग. | प्रायोजक निकाय
(देव संस्कृति विश्वविद्यालय) द्वारा
नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद | समिति
अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. एस. के. भारद्वाज,
सेवानिवृत्त प्राचार्य,
शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटनकर कन्या
स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, दुर्ग | प्रायोजक निकाय
(देव संस्कृति विश्वविद्यालय) द्वारा
नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद | समिति
सदस्य |
| 3. | डॉ. सुशील चन्द्र तिवारी,
प्राचार्य,
शासकीय डॉ. वा. वा. पाटनकर कन्या
स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, दुर्ग | उच्च शिक्षा विभाग, राज्य शासन
द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त व्यक्ति | समिति
सदस्य |
2. माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा डॉ. श्रीमती हंसा शुक्ला को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की समय अवधि में न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

(अमृत कुमार खलखो)
राज्यपाल के सचिव.